

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर 2019—भाद्र 13, शक 1941

आदिम जाति कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2019

क्र. एफ 20-02-2013-3-पच्चीस.—राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-1-2009-5-पच्चीस, 08 सितम्बर 2014 द्वारा गठित आदिम जाति मंत्रणा परिषद् को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् नियम, 1957 के नियम क्रमांक 3 के उपनियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, एतद्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को आदिम जाति मंत्रणा परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित करते हुये मंत्रणा परिषद् का पुनर्गठन करता है:—

1	श्री कमलनाथ जी	मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
2	श्री ओमकार सिंह मरकाम जी	मा. मंत्री जी, आदिम जाति कल्याण	उपाध्यक्ष
3	श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	विधायक, 88 पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर)	सदस्य
4	श्री विजयराघवेन्द्र सिंह	विधायक, 91 बड़वारा (कटनी)	सदस्य
5	श्री भूपेन्द्र मरावी (बबलू)	विधायक, 103 शहपुरा (डिण्डोरी)	सदस्य
6	श्री नारायण सिंह पट्टा	विधायक, 105 बिछिया (मण्डला)	सदस्य
7	श्री संजय उइके	विधायक, 108 बैहर (बालाघाट)	सदस्य
8	श्री अर्जुन सिंह	विधायक, 114 बरघाट (सिवनी)	सदस्य
9	श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा)	विधायक, 117 लखनादौन (सिवनी)	सदस्य
10	श्री निलेश पुसाराम उइके	विधायक, 128 पांडुर्णा (छिंदवाड़ा)	सदस्य
11	श्री ब्रह्मा भलावी	विधायक, 132 घोड़ाडोंगरी (बैतूल)	सदस्य
12	श्रीमती सुमित्रा देवी कास्टेकर	विधायक, 179 नेपानगर (बुरहानपुर)	सदस्य
13	श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी	विधायक, 181 भीकनगांव (पश्चिम निमाड़) खरगोन.	सदस्य

14	श्री ग्यारसीलाल रावत	विधायक, 187 सेंधवा (बड़वानी)	सदस्य
15	सुश्री चन्द्रभागा किराडे	विधायक, 189 पानसेमल (बड़वानी)	सदस्य
16	सुश्री कलावती भूरिया	विधायक, 192 जोबंट (अलीराजपुर)	सदस्य
17	श्री वीरसिंह भूरिया	विधायक, 194 थांदला (झाबुआ)	सदस्य
18	श्री प्रताप ग्रेवाल	विधायक, 196 सरदारपुर (धार)	सदस्य
19	डॉ. हीरालाल अलावा	विधायक, 199 मनावर (धार)	सदस्य
20	श्री हर्ष विजय गेहलोत "गुड्डू"	विधायक, 221 सैलाना (रतलाम)	सदस्य

2. उपरोक्त नवगठित आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल वर्तमान विधान सभा कालावधि तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुषमा शर्मा, उपसचिव.